22/9/20

Judl./Civi
Part I-4

22/12/20

2020
00016

29/12/20
4/3/21
6/5/21
8/7/21
2/9/21
23/12/21
12/4/22
28/06/22

सरबरक

[कायदा 129]

[General Rules (Civil), Rule 129, Appendix 'B', Form No. 8]

1. नाम अदालत S.D.O बनेड़ा

2. नियम मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा-111, 128 LR Act.

3. उनवान मुकदमा नूर मोहम्मद S/o नूरे खां बनाम अलादीबानु D/o नूरे खां

4. नम्बर व सन् मुकदमा 111/0020

5. तारीख दायरा 24/7/0020

6. तारीख फैसला खारिज 20-5-22

7. तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना

8. अपील या निगरानी की तारीख फैसला 15/9/20

9. किस्म मिसल या हिस्सा प्रा० पत्र

10. किस्म रेकर्ड नैत्यककार्य

11. (अ) तारीख जिस पर की हिस्सा 'डी' तलफ करना हैं

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया

12. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया

13. (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ करना हैं

(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ किया गया

14. (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ करना है

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:18:08 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III

App. A
Crim - 1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

नूर मोहम्मद .... बनाम .... अलादीबानु

मुकदमा प्रा॰ पत्र धारा 111, 128 LRAct नं. 111 सन् 0020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, LRAct. विरूद्ध विपक्षी पेश किया गया । प्रार्थना पत्र बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 15/9/020 को पेश हो । (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा)	
15/9 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधि. उपस्थित। पत्रावली वास्ते आगे कार्यवाही 27/9/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा)	
पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी जी अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 22/12/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारे हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः अवकाश वकीलों का कार्य स्थगन होने से। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 29/12/20 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:18:08 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म 111 /2020	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.05.2022	पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फोलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट **सरदारनगर** पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से **प्रार्थी** अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में **प्रार्थी** द्वारा ग्राम **बैसकलाई** पटवार हल्का **बैसकलाई** जमाबंदी संवत् **2073 से 2076** तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से **पत्थरगढी/सीमांकन** से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। **प्रार्थी** के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा Signature Not Verified Digitally signed by Anshul Singh Date: 2022.05.27 16:18:08 IST Reason: SelfAttested	

प्रशासन गांवों के संग फोलो अप केम्प सरदानगर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर – 111 /2020 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

नूर मोहम्मद पिता भूर खां कायमखानी निवासी बैसकलाई तहसील बनेड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1– अलादीनबानु, सायरा बानु पिता भुरे खां निवासी हाल फुलिया गेट शाहपुरा
3– चान्द खां पिता बादर खां कायमखानी निवासी बेसकलाई
4– शंकर पिता रूगनाथ भील निवासी बेसकलाई
5– लाली पत्नी शंकर गुजर निवासी राक्षी
6– हरकचन्द पिता भुरा बैरवा निवासी नृसिंहपुरा लिरडिया तहसील शाहपुरा
7–शंकर पिता काना गुजर निवासी राक्षी
8– नानु पिता पन्ना गुजर निवासी राक्षी
9– केसर खा पिता चान्द खा कायमखानी निवासी बेसकलाई
10– तहसीलदार बनेड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :– 20/05/2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम **बैसकलाई** भू०अ०नि० **सरदारनगर** तहसील **बनेड़ा** जिला **भीलवाड़ा** में स्थित आराजी नम्बर **331, 342, 343, 377, 378, 381, 382, 383, 391, 512, 513, 516, 518, 519, 607, 608, 610, 611, 614, 618, 769, 1413, 1414, 1415, 1419, 1420, 1433, 1434,1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1751, 1752, 1869, 1870** कुल **किता 38** रकबा **44 बीघा 12 बिस्वा** के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए **प्रार्थी** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया [illegible] प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। **जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 207**[illegible] **ग्राम** [illegible]**कलाई भू०अ०नि० सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा** में स्थित **आराजी नम्बर 331, 342,** [illegible] **377, 378, 381, 382, 383, 391, 512, 513, 516, 518, 519, 607, 608, 610, 611, 614, 618,** [illegible] **1413, 1414, 1415, 1419, 1420, 1433, 1434,1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1751, 1752,** [illegible]**869, 1870 कुल किता 38 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा** भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर सहखातेदार खातेदार है। **प्रार्थी** अपने खाते की उक्त कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:18:08 IST
Reason: SelfAttested

की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

/ / आदेश / /

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर **ग्राम बैसकलाई भू०अ०नि० सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 331, 342, 343, 377, 378, 381, 382, 383, 391, 512, 513, 516, 518, 519, 607, 608, 610, 611, 614, 618, 769, 1413, 1414, 1415, 1419, 1420, 1433, 1434,1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1751, 1752, 1869, 1870 कुल किता 38 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा** भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक **सरदारनगर** को **4400/– रूपये** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही_पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक **सरदारनगर** जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक **20/05/2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय **सरदारनगर** पर सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लिखा जाता है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में पत्थरगढी की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:18:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा